Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Confirmation Committee (considering confirmation) consisting of :-** (1)Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Chairman; (2) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member; (3) Deputy Director Administration, of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Member.	Not applicable.

[F.No. A. 11018/45/2019-MH-II]
G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 49.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में विकिरण भेषजज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, विकिरण भेषजज्ञ (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विकिरण भेषजज्ञ	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/- रु.)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **नोट :** आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख़ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड, भारत सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से नाभिकीय चिकित्सा या नाभिकीय चिकित्सा प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री । या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या कार्बनिक रसायन विज्ञान विषय के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री। साथ ही परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड, भारत सरकार से सम्यक रूप से मान्यताप्राप्त चिकित्सा विकिरण और आईसोटोप प्रौद्योगिकी (डीएमआरआईटी) में डिप्लोमा।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400/- रुपए) के पद पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हों । **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में शामिल होंगे: (1) अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष (2) संबंधित विभाग के अध्यक्ष, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य (3) उपनिदेशक प्रशासन, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य (4) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफ़दरजंग अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं.ए. 12018/21/2016-एमएच-II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 24th February, 2020

G.S.R. 49.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Radio Pharmacist, Safdarjang Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjang Hospital , New Delhi, Radio pharmacist (Group-'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of the rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , Other Backward Classes , Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Radio Pharmacist	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non Gazetted Non Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Not applicable

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be advertised by Staff Selection Commission.	Masters Degree in Nuclear Medicine or Nuclear Medicine Technology from a recognised University, duly recognised by Atomic Energy Regulatory Board, Government of India. Or Degree in Science with Chemistry or Biochemistry or Organic Chemistry as one of the subjects from a recognised University with Diploma in Medical Radiation and Isotope Technology (D M R I T) duly recognised by Atomic Energy regulatory Board, Government of India.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Direct Recruitment **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of Central Government or Officers under the Central or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or Public Sector Undertaking or University or recognized Research Institution : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department ; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department, and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

		Note: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed fifty –six years as on closing date of the receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:** (1) Additional Medical Superintendent , Safdarjang Hospital, New Delhi -Chairman; (2) Head of the concerned Department , Safdarjang hospital -Member; (3) Deputy Director Administration , Safdarjang hospital -Member; (4) Deputy Director looking after the work of Safdarjang Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/21/2016-MH II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 50 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विलिंग्डन अस्पताल तथा नर्सिंग होम (वर्ग 'IV') भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध ड्रैसर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ड्रैसर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, ड्रैसर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर व होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :